न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 40/25

GCMS NO 2025/97

रामलाल पुत्र कालू मीना निवासी पार्वती नगर पीपल्या तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. गोपाल पुत्र नारयण जाति जाट निवासी पार्वती नगर पीलल्या तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. सुरेश पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी पार्वती नगर पीपल्या तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
3. कैलाश पुत्र रामलाल जाति मीना निवासी पार्वती नगर पीपल्या तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
4. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 80/16 निर्णय व डिकी दिनांक 7.11.24 न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा)

अभिभाषक अपीला0 श्री शिवचरण सोनी
अभिभाषक रैस्पो0 श्री बालकृष्ण उपाध्याय

दिनांक 13.8.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्व निर्णय व डिकी दिनांक 7.11.24 न्यायालय उप जिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दावा बेदखली अन्तर्गत धारा 183 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ग्राम पीपल्या तहसील चौथ का बरवाडा के निवासी है। वादी एवं उसके परिवार के रामेश्वर,गंगाशंकर,आशा ,सायर सोनी ,किशु उर्फ पूजा ,गुलाब देवी ,रसाल देवी, विष्णु, शिवप्रसाद की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख0नं0 1613/1969 रकबा 1.20 है0, 1615 रकबा 0.31 है0, 1616 रकबा 0.50 है0, 1617 रकबा 0.20 है0, 1618 रकबा 0.10 है0, 1630 रकबा 2.60 है0, 1631 रकबा 0.97 है0, 1634 रकबा 0.27 है0, 1635 रकबा 2.13 है0, 1637/1968 रकबा 0.70 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 8.98 है0 ग्राम पीपल्या तहसील चौथ का बरवाडा मे स्थित है। जिसका सभी ने आपस मे मिलकर [illegible] बटवारा कर रखा है और मुताबिक बंटवारे के सभी संयुक्त खातेदार [illegible] अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। [illegible] 1615 रकबा 0.31 है0 जो वादी के हिस्से मे आया है , पर प्रतिवादीगण 1 ता 3 ज[illegible]दस्ती कब्जा करना चा[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि ख0न0 1615 रकबा 0.31 है0 मे वादी की कमजोरी का फायदा उठाकर दिनांक 28.4.16 व 29.4.16 को बोरिंग लगवा लिया और जबदस्ती कब्जा कर लिया जबकि उनको ऐसा करने का अधिकार नही है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को ग्राम पीपल्या तहसील चौथ का बरवाडा मे स्थित भूमि ख0न0 1615 रकबा 0.31 है0 जो वादी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के खिलाफ वादी की खातेदारी भूमि मे विवादित आराजी पर कब्जा बनाये रखने तक प्रति बीघा प्रति फसल 50000/–रूपये वादी को दिलाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री तथ्यो एवं कानूनी बिन्दुओ के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/विपक्षी द्वारा उसकी खातेदारी ख0न0 1615 रकबा 0.31 है0 के संबंध मे वादी /रेस्पो0 संख्या 1 को खातेदार मानते हुए आचोच्य निर्णय पारित किया है। जिसमे अहम कानूनी बिन्दुओ की अनदेखी की गई है। जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की अवहेलना करते हुए प्रार्थी/अपीलांट को सबूत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वार एक के दावे को डिक्री कर दिया इस संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की विधि अनुसार तामील हुई या नही इस बात की कोई विवेचना नही की। अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की तामील के लिए दिनांक 27.7.16 को प्रथम व आखरी बार सम्मन जारी किये गये जिसमे रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा तामील कुनिन्दा से साज कर प्रार्थी/अपीलांट को अपना पक्ष रखने के अवसर से जानबूझ कर वंचित किया जाना जाहिर होता है। इस संबंध मे रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी तामील होना बताया है जबकि जिस तरह के हस्ताक्षर सम्मन पर बनाये गये है वैसे हस्ताक्षर रेस्पो0 नही करते है। इसी तरह अपीलांट की तामली को भी जानबूझकर गलत कराया गया है। प्रार्थी/अपीलांट के नोटिस की एक प्रति दिलखुश भतीजे को दिया जाना बताया है जिसकी कोई बल्दियत अंकित नही की जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी के दिलखुश [illegible]। प्रार्थी के पांच भतीजे है जो दूर निवास करते है। जिनका प्रार्थी के यहॉ आना [illegible] नही है। इस तरह अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तामील की प्रकिया सम्यक [illegible] की तामील मान ली गई । अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 को [illegible] कोई जानकारी नही हुई न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

वे कभी उक्त मुकदमे के संबंध मे न्यायालय मे हाजिर हुए ना ही कोई वकील नियुक्त किया। जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 6.12.17 मे वकील वादी व प्रतिवादी के उपस्थित होने व जबाब के लिए समय चाहने के तथ्य अंकित है। उसके बाद दिनांक 17.1.18 की आदेशिका मे पुनः वकील प्रतिवादी को अनुपस्थित बताया जाकर जबाब बंद करने का तथ्य अंकित किया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की तरफ से कोई वकालतनामा प्रस्तुत नही किया गया और न ही उनके न्यायालय मे हाजिर होने के संबंध मे आदेशिका पर कोई हस्ताक्षर भी उपलब्ध नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन सारी प्रकिया के बाबजूद कही भी अपीलांट व रेस्पो0 दो व तीन के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश आदेशिका पर कही भी नही दिये गये है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि के अनेक प्रावधानो की अनदेखी करके आचोच्य आदेश पारित किया है। इस संबंध मे विवादित ख0न0 1615 के खातेदार वादी/रेस्पो0 एक अकेला ना होकर अन्य 16 सहखातेदार है। विधि अनुसार प्रत्येक सहखातेदार प्रत्येक इंच भूमि का अधिकारी होता है को भी पक्षकार बनाये बिना ही दावे मे अकेले रेस्पो0 एक को ही पूर्ण रकबे का खातेदार मानते हुए बेदखली का आदेश पारित किया है जो विधि अनुकूल नही है। विवादित ख0न0 1615 पर अपीलांट का अतिक्रमण नही है बल्कि अपीलांट को वर्ष 1981 मे जब गांब वाढग्रस्त हो गया था तब तत्काली प्रशासन ने अपीलांट के परिवार को मौजूद विवादित भूमि पर बसाया था इस तरह अपीलांट वर्ष 1981 से अब तक बिना किसी बाधा के उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है। वर्ष 1981 मे बाढ के वक्त जब अपीलांट को उक्त विवादित स्थल पर बसाया था उसकी जानकारी स्वयं वादी गोपाल को थी। तत्समय गांव मे सिर्फ गोपाल के पास ट्रेक्टर था तब उनने बाएग्रस्त मकान से प्रार्थी का सामान निकालकर इस स्थान पर डाला था तथा इस स्थान पर आवास निर्माण के लिए ईट पत्थर चूना मिटटी भी गोपाल के ट्रेक्टर से उक्त भूमि पर डाले गये थे। अधिनस्थ न्यायालय ने मियाद के प्रश्न की विवेचना नही कि अपीलांट वर्ष 1981 से जब तक इस भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज है। जो अवधि बेदखली की कार्यवाही की 12 वर्ष की अवधि से अधिक है इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। ख0न0 1615 अकेले रेस्पो0 संख्या 1 की मिलकियत है तथा वह अकेला काबिज है इस तथ्य की पुष्टि के लिए घोषणात्मक वाद आवश्यक था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु की भी कोई विवेचना नही की। रेस्पो0 संख्या 1 जिस भूमि की खातेदारी मे होना बता रहा है इस संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी या तहसीलदार की कोई मौका रिपोर्ट नही मंगवाई है और ना ही इस संबंध मे कोई स्वतंत्र गवाह करवाये गये है। वर्तमान मे विवादित भूमि को रेस्पो0 एक की खाते की भूमि भी मानी जावे तो भी प्रार्थी की हैसियत धारा 5 (44) के तहत अतिकमी की न होकर टीनेन्ट होल्डिग ऑवर की हैसियत होना साबित होता है जिसमे धारा 183 आर टी एक्ट की कार्यवाही चलने योग्य नही है। अपीलांट का विवादित भूमि पर लगभग 44 वर्षो से निर्बाध कब्जा व उपयोग उपभोग है। [illegible] से प्रार्थी का आवासीय मकान के अलावा कई फलदार व छायादार वृक्ष लगे [illegible] मे प्रार्थी का विधुत कनेक्शन है तथा लगभग 20 वर्षो से अधिक समय से [illegible] भी बना हुआ है। इस भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

के शेष भाग पर अन्य लोगो के निवास बने हुए है। जिनके संबंध मे वादी द्वार कोई कार्यवाही नही की ना ही उनको पक्षकार बनाया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एक पक्षीय होने से कारण अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी। पटवारी हल्का के मौके पर दिनांक 2.5.25 को आने पर निर्णय की जानकारी देकर मौके से कब्जा छोडने की कहने पर हुई। इस प्रकार जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अपील जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद पेश की गई है इस संबंध मे धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया है। रेस्पो0 संख्या 2 व 3 गांव मे नही रहते है इस कारण अपील मीमो पर हस्ताक्षर कराया जाना संभव नही होने के कारण उनको रेस्पो0 पक्षकार बनाया गया है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 7.11.24 को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया किया कि भूमि ख0न0 1613/1969 रकबा 1.20 है0, 1615 रकबा 0.31 है0, 1616 रकबा 0.50 है0, 1617 रकबा 0.20 है0, 1618 रकबा 0.10 है0, 1630 रकबा 2.60 है0, 1631 रकबा 0.97 है0, 1634 रकबा 0.27 है0, 1635 रकबा 2.13 है0, 1637/1968 रकबा 0.70 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 8.98 है0 ग्राम पीपल्या तहसील चौथ का बरवाडा मे स्थित है। जो उसके परिवार के रामेश्वर,गंगाशंकर,आशा ,सायर सोनी ,किशु उर्फ पूजा ,गुलाब देवी ,रसाल देवी, विष्णु, शिवप्रसाद की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। उक्त भूमि का सहखातेदारो द्वारा आपस मे बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसमे विवादित आराजीयात ख0न0 1615 रकबा 0.31 है0 वादी के हिस्से मे दिया गया है। जिसे वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि वर्ष 1981 मे गांव बाढग्रस्त होने से विवादित भूमि पर प्रशासन द्वारा उनको वहॉ पर बसाया गया है। जबकि प्रशासन द्वारा किसी की खातेदारी भूमि पर बसावट नही कराई जाती है। इसी प्रकार अपीलांट का कथन रहा कि वादी गोपाल द्वारा बाढ के दौरान उसके घर के सामानो को ट्रेक्टर द्वारा विवादित आराजी पर पहुॅचागया है तथा ईट पत्थर व मिटटी डालकर बसावट कराई गई है। अपीलांट का यह कथन मनगढन्त है। वादी/रेस्पो0 द्वारा इस प्रकार का कोई कार्य नही किया है। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसकी तामील नही कराई है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से सम्मन जारी कर अपीलांट को तलब किया गया है । अपीलांट को जारी सम्मन की तामील उसके स्वयं के भतीजे दिलखुश द्वारा प्राप्त की गई है। इस प्रकार अपीलांट की तामिल प्रोपर हुई है। विवादित आराजीयात से अपीलांट को दूर दूर तक कोई वास्ता नही है । अपीलांट का विवादित आराजीयात पर बतौर अतिक्रमी कब्जा है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय मे गवाह पी डब्लू 1 व 2 द्वारा माना गया है। वादी/रेस्पो0 विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है। चूकिः विवादित आराजी वादी को वाहमी बंटवारे मे प्राप्त हुई है। वादी को प्राप्त उक्त भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिकमण किये जाने के कारण ही वादी द्वारा स्वयं अकेले ही वाद पत्र पेश किया था क्योकि उक्त आराजीयात मे वादी के अलावा अन्य सहखातेदार को किसी प्रकार का कोई नुकसान होना संभव नही था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं वादी एवं स्वतंत्र गवाह के बयान कराया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

की गई है। जिसमे अपीलांट को वादी/रेस्पो0 की भूमि पर अतिक्रमी माना है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि अनुसार होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 1615 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम पीपल्या तहसील चौथ का बरवाडा की खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 गोपाल पुत्र नारायण , रामेश्वर,गंगाशंकर,आशा सायर सोनी ,किशु उर्फ पूजा ,गुलाब देवी ,जमना देवी,रसाल देवी अवकाय जाट सा.देह पार्वती नगर के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसे गवाह पी डब्लू 1 व 2 ने भी अपने बयानो मे स्वीकार किया है। अपीलांट के कथन अनुसार अपीलांट की तामिल प्रोपर नही होना बताया है इस संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध अपीलांट को जारी सम्मन के अवलोकन से जाहिर है अपीलांट को जारी सम्मन की तामिल दिलखुश नाम के व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई है। जिसे तामिल कुनिन्दा द्वारा अपीलांट का भतीजा बताया गया है जबकि अपीलांट अधिवक्ता के कथन अनुसार दिलखुश नाम का कोई व्यक्ति अपीलांट के भतीजा है ही नही। इस प्रकार अपीलांट की प्रोपर तामील होना सिद्व नही होता है। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 6.12.17 पर वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित जबाव हेतु समय चाहा का अंकन है जबकि पत्रावली मे प्रतिवादी/अपीलाट की और से किसी भी अधिवक्ता का वकालतनामा शामिल नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री एक पक्षीय जारी की गई है। जो विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किया जाना उचित है तथा प्रकरण उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना विधि सम्मत है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 80/16 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.11.24 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के यहॉ दिनांक 15.9.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 13.8.2025 [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:19 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner